विशिष्टताएं

विशिष्टताएं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखाओं पर है तथा वर्ष 2016-17 हेतु संघ सरकार के वित्त साधनों का विश्लेषण करता है। इसमें विनियोग लेखे का विश्लेषण तथा वर्ष 2016-17 हेतु संघ सरकार के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी शामिल हैं।

अध्याय -1

- 2016-17 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति को प्राथमिक रूप से पिछले वर्ष से दोनों कर राजस्व प्राप्तियों (17.86 प्रतिशत) तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (4.43 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण सकल राजस्व प्राप्तियों में 14.50 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा बताया गया है।

(पैरा 1.2.2)

- राजस्व व्यय 2015-16 में 4.98 प्रतिशत के प्रति 2016-17 के दौरान 8.63 प्रतिशत तक बढ़ा। सामान्य सेवाओं पर व्यय 2016-17 में राजस्व व्यय का 47.92 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.2)

- पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 29,394 करोड़ (10.54 प्रतिशत) तक कम हुआ तथा 2016-17 में ₹2,49,472 करोड़ पर रहा। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2015-16 में 13.24 प्रतिशत से 2016-17 में 11.12 प्रतिशत तक कम हुआ।

(पैरा 1.3.3)

- वर्ष 2016-17 हेतु राजस्व घाटा 2015-16 में जीडीपी के 2.51 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 2.09 प्रतिशत था। जीडीपी के 2.09 प्रतिशत का राजस्व घाटा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे था। वर्ष 2016-17 हेतु राजकोषीय घाटा 2015-16

में जीडीपी के 4.28 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 3.54 प्रतिशत था।

(पैरा 1.4 तथा 1.5.4)

- लोक लेखा देयता को अन्य दायित्वों के रूप में ₹13,11,628 करोड़ तथा ₹2,08,100 करोड़ की लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की देयता के स्तर को ध्यान में रखने के पश्चात ₹15,19,728 करोड़ पर परिकलित किया गया है।

(पैरा 1.5)

अध्याय-2

- व्यय तथा प्राप्तियों से संबंधित 35 मुख्य शीर्षों, जिनमें कुल व्यय तथा प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक को लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत दर्ज किया गया था, में आपारदर्शिता पाई गई थी।

(पैरा 2.2.1)

- 14 नियामक निकायों तथा स्वायत्त निकायों, जो अपने संबंधित क्षेत्र में विनियामकों के रूप में भी कार्य करते है, ने मार्च 2017 के अंत में शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदान, सरकारी अनुदान पर प्राप्त ब्याज, लाईसेंस शुल्क की वसूली, कॉर्पस निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹6,064.08 करोड़ की निधियों को जनवरी 2005 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के विपरीत सरकारी खाते के बाहर रखा था।

(पैरा 2.2.2-ए)

- 1996-97 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल ₹7,885.54 करोड़ का अनुसंधान एवं विकास उपकर एकत्रित किया गया था।

इसमें से, केवल ₹609.46 करोड़ (7.73 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर के उदग्रहण के उद्देश्यों के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.3.1)

➢ 2006-07 से 2016-17 के दौरान भारत की समेकित निधि में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) के रूप में ₹83.497 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति किसी भी राशि को लोक लेखे में चिन्हित निधि को अंतरित किया जा सका था क्योंकि न तो योजनाओं का चयन किया गया था जिन पर उपकर प्राप्तियों को व्यय किया जाना था और न ही एसएचईसी की प्राप्तियों को जमा करने हेतु लोक लेखा में नामित निधि खोली गई थी।

(पैरा 2.3.3)

➢ बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से व्यय प्राप्तियों से काफी अधिक होने के कारण वर्षों से निधि में शेष प्रतिकूल हो गया था। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था जो 2012-13 में (-) ₹200.46 करोड़ से 2016-17 में (-)₹210.97 करोड़ तक बढ़ा।

(पैरा 2.3.8)

➢ 31 मार्च 2017 को राज्य/यूटी सरकारों तथा अन्य अस्तित्वों के प्रति ₹2,62,177.59 करोड़ का कुल कर्ज बकाया था। इसमें से ₹25,943.30 करोड़ के पुनर्भुगतान एक से 50 वर्षों के बीच बकाया थे, जिसमें 20 वर्षों से अधिक (₹10 करोड़ से अधिक के मामले) से बकाया ₹11,302.46 करोड़ शामिल है।

[पैरा 2.4.4.4(जी)]

अध्याय-3

➢ भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार, विधि द्वारा किए गए विनियोगों को छोड़कर, भारत की समेकित निधि

(सीएफआई) से किसी धन का आहरण नहीं किया जाएगा। तथापि, 2016-17 के दौरान सीएफआई से प्राधिकरण से ₹1,90,270.18 करोड़ का अधिक संवितरण था, जिसमें से सिविल मंत्रालयों/विभागों में दो अनुदान/विनियोगों के तीन खण्डों में, ₹1,89,154.26 करोड़ का, डाक के एक अनुदान के एक खण्ड में ₹936.48 करोड़, रक्षा के एक अनुदान के दो खण्डों में ₹146.31 करोड़ का तथा रेलवे के तीन अनुदान में छ: खण्डों में ₹33.13 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ था। इन अधिक संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 115(1)(बी) के अंतर्गत नियमन अपेक्षित है।

(पैरा 3.4)

- कुल ₹2,28,640 करोड़ की 67 अनुदान (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं सहित) के 84 खण्डों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई। बड़ी बचतें अनुदान; खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग (₹53,478 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹46,838 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹13,335 करोड़), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (₹8,206 करोड़), वित्तीय सेवाएं विभाग (₹6,273 करोड़), राज्यों को अंतरण (₹6,044 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹5,623 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹4,378 करोड़) विनियोग- ब्याज भुगतान (₹4,268 करोड़) तथा उर्वरक विभाग (₹4,009 करोड़) में पाई गई थीं।

(पैरा 3.7 तथा अनुबंध 3.5)

अध्याय-4

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) अनुबंध करता है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा किए गए विनियोग के अंतर्गत को छोड़कर किसी धन का आहरण नहीं किया जाएगा। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹2,598 करोड़ की वापसियों पर

ब्याज पर व्यय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्‌वारा संसद के प्राधिकरण के बिना किया गया था। लोक लेखा समिति की अपनी 66वीं तथा 96वीं रिपोर्टों में सिफारिशों के बावजूद आवश्यक विनियोग के माध्यम से ससंद का अनुमोदन प्राप्त किए बिना नौ वर्षों से ब्याज भुगतानों पर ₹58,537 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

(पैरा 4.2)

- किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण को 'सहायता अनुदान' तथा भारत की संचित निधि से 'आर्थिक सहायताएं' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन केवल संसद की पूर्वानुमति से किया जा सकता है। 2016-17 के दौरान सात अनुदान में, नौ मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्‌वारा संसद की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन करके ₹7.37 करोड़ का व्यय किया था। इसी प्रकार, चार अनुदान में पांच मामलों में संसद की पूर्वानुमति के बिना वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को ₹6.01 करोड़ का संवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में कुल ₹2.48 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान - वेतन' को संवर्धन किया गया था। चार अनुदान में आठ मामलों में कुल ₹3,230.60 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' को संवर्धन किया गया था। इन सभी अधिक व्ययों ने नई सेवा/सेवा के नए साधन (एनएस/एनआईएस) की सीमाओं का उल्लंघन किया।

(पैरा 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 तथा 4.3.4)

- वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक

अथवा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माण कार्यों के लिए। पुलिस से संबंधित अनुदान सं. 48 में, संसद से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन करके ₹9.31 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। यह अतिरिक्त व्यय नई सेवा/सेवा के नए साधनों की सीमाओं का उल्लंघन भी करता है।

(पैरा 4.3.5)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने गलत प्रकार से राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय में तथा प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया। गलत वर्गीकरणों के कारण ₹2,229.40 करोड़ तक राजस्व व्यय कम बताया गया था और ₹752.18 करोड़ तक राजस्व व्यय अधिक बताया गया था। वर्ष 2016-17 के लिए सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव राजस्व व्यय का ₹1,477.22 करोड़ कम बताने तथा उसी सीमा तक पूंजीगत व्यय को अधिक बताने में हुआ था।

(पैरा 4.4.1, 4.4.2 और 4.4.3)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 छठे स्तर अथवा वस्तु शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। 14 अनुदानों में 46 मामलों में, ₹549.49 करोड़ तक की राशि के व्यय को विनियोग की प्राथमिक इकाईयों के बीच गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था।

(पैरा 4.5.2)

अध्याय -5

- 2014-17 की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित विनियोग लेखाओं की विस्तृत जांच से वर्गीय और उप-शीर्ष स्तर पर बड़ी और लगातार बचतों, बचतों का अभ्यर्पण न करना और अभ्यर्पण में विलंब, अवास्तविक बजट अनुमानों के कारण अधिक अनुपूरक अनुदानों को प्राप्त करना, उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान, उप-शीर्ष स्तर पर सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग न किया जाना; विवेकहीन पुनर्विनियोग, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों का पता चला जो जीएफआर के अनुसार सचेतना और समनुरूपता तथा बजट निरूपण प्रक्रिया से संबंधित वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का अनुपालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

(पैरा 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4)